बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– पी0पी0एम0–59 / 2016 1304 /कृ0, पटना दिनांक 12/3/ .2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अर्न्तगत Targeting Rice Fallow Area (TRFA) in Eastern India for Pulses and Oilseeds में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यक्रमों के लिए कुल 698.97 (छः करोड़ अंठानवे लाख सन्तानवे हजार रुपया मात्र) लाख रुपया (केन्द्रांश–400.41 लाख रुपया तथा राज्यांश–266.93 लाख रुपया एवं अतिरिक्त राज्यांश 31.63 कुल राज्यांश 298.56 लाख रुपया) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अर्न्तगत Targeting Rice Fallow Area (TRFA) in Eastern India for Pulses and Oilseeds में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यक्रमों के लिए कुल 698.97 (छः करोड़ अंठानवे लाख सन्तानवे हजार रुपया मात्र) लाख रुपया (केन्द्रांश–400.41 लाख रुपया तथा राज्यांश–266.93 लाख रुपया एवं अतिरिक्त राज्यांश 31.63 कुल राज्यांश 298.56 लाख रुपया) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में धान की खेती के बाद परती खेतों में अवशेष नमी एवं सिंचाई सुविधा का विस्तार कर रबी एवं गरमा मौसम में तेलहनी फसलों को बढ़ावा देना एवं तेलहन उत्पादन में वृद्धि लाना है। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।

3. स्वीकृत योजना राज्य के किशनगंज जिला में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के रबी / गरमा मौसम में कार्यान्वित किये जायेगें। कार्यक्रम का विस्तृत विवरणी अनुसूची–I संलग्न है। योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

घटक	इकाई लागत (रुपये में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपया में)
प्रत्यक्षण @ रुपया 2.50 लाख / ग्राम			
राई / सरसों	Rs.3000/ha	8000	240.00
मूँगफली	Rs.7500/ha	2000	150.00
उत्पादन उपादान			
राई / सरसों / तीसी / तिल / मूँगफली / कुसम आदि का प्रमाणित बीज वितरण	Rs.2500+1500/Qtl. (Top Up) =Rs.4000/Qtl.	1500	60.00
मिनीकीट बीज (संख्या में)			
राई / सरसों (@2Kg/Pkt.)	भारत सरकार से प्राप्त होता है।	5000	-
मूँगफली (@ 20kg/ Pkt.)		1000	-
सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण	Rs.500/ ha.	10000	50.00
लाईम वितरण	Rs.750/ ha.	2000	15.00
जैव कीटनाशक वितरण	Rs.500/ ha.	10000	50.00
सिंचाई पाईप वितरण (मीटर में)	Max.Rs.20/Farmers	350000	70.00
पावर ऑपरेटेड (स्प्रेयर / डस्टर) वितरण (Gen.-913, SC-176, ST-11)	Gen.50% Max. Rs. 2000+1000 (Topup)/Unit =Rs.3000/Unit, SC/ST 50% Max. Rs. 3000 /Unit	1100 (913+176 +11)	33.00

कृषक प्रशिक्षण	Rs.24000/Training	100	24.00
पदाधिकारी प्रशिक्षण	Rs.36000/Training	1	0.36
आकस्मिकता एवं पी०एम०ई०			6.61
कुल			**698.97**

4. नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयलपाम (NMOOP) Mini Mission-I योजना के अर्न्तगत Targeting Rice Fallow Area (TRFA) in Eastern India for Oilseeds में केन्द्रांश मद की 400.41 लाख रूपये (सामान्य वर्ग के लिए 333.942 लाख रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 62.864 लाख रूपये तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 3.604 लाख रूपये) विमुक्त किया गया है। उक्त योजनाओं में राज्यांश मद में राज्य सरकार के 40% अंशदान से योजना कार्यान्वयन किया जायेगा। अतिरिक्त सहायता (टॉप अप) के रूप में स्वीकृत राशि शत्–प्रतिशत राज्य योजना मद से राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया जायेगा

5. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, किशनगंज से जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा किया जायेगा तथा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

6. भारत सरकार द्वारा सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीच 83:16:1 के अनुपात में राशि विमुक्त नहीं की गयी है। अतः भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के विरूद्ध 40 प्रतिशत राज्यांश का आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा। तृतीय अनुपूरक आगणन में स्वीकृति के अनुसार केन्द्रांश 400.41 लाख रूपये एवं राज्यांश 266.93 लाख रूपये प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

7. प्रमाणित बीज वितरण (राई/सरसों, मूँगफली) :– भारत सरकार द्वारा धान फसल के कटनी के उपरांत परती पड़े खेतों में तेलहन फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑलयपॉम (NMOOP) योजना अन्तर्गत Targeting Rice Fallow Area (TRFA) in Eastern India for Oilseeds की योजना वर्ष 2017–18 से शुरू की गई है। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है। तेलहनी फसल यथा राई/सरसों, मूँगफली, तीसी,नाईजर, कुसुम एवं तिल आदि के प्रमाणित बीज वितरण पर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान 2500 रुपया प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना मद से अतिरिक्त अनुदान (Top Up) 1500 रूपया प्रति क्विंटल कुल 4000 प्रति क्विंटल देय होगा।

8. केन्द्र प्रायोजित योजना के सभी घटकों में केन्द्रांश मद की 60 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश मद की 40 प्रतिशत राशि के व्यय का प्रावधान है। बीज अनुदान मद में अतिरिक्त अनुदान का व्यय भार शत्–प्रतिशत राज्य योजना मद से किया जायेगा।

9. मिनीकीट बीज वितरण :– मिनीकीट बीज वितरण गरमा/रब्बी के लिए भारत सरकार द्वारा निःशुल्क मिनीकीट का बीज यथा मूँगफली एवं राई/सरसों आदि तेलहनी फसलों का बीज वितरण किसानों को किया जाता है। प्रत्येक चयनित कुल 100 राजस्व ग्राम में तेलहन फसलों के 50 मिनिकिट की आपूर्ति राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) में माध्यम से किया जाएगा जिसकी आपूर्ति चयनित जिलों में एक स्थल पर किया जाएगा। राई/सरसों के लिए 2 Kg/पैकेट, मूँगफली के लिए 20 Kg/पैकेट मिनीकीट का बीज दिया जाता है। किसानों को मिनीकीट बीज का प्रयोग अपने प्रक्षेत्रों में नये प्रभेदों के प्रचार–प्रसार हेतु दिया जाता है।

10. प्रत्यक्षण :– कम समय में तकनीकी हस्तांतरण का सबसे उत्तम विधि फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम है। इसके कारण प्रत्यक्षण कार्यक्रम कृषकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फसल प्रत्यक्षण की आधुनिक तकनीक से तेलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जा सकता है।

11. लाईम :– लाईम सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग अम्लीय मिट्टी के सुधार हेतु किया जाता है। अम्लीय मिट्टी से फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है इसलिए मिट्टी की जाँच कराकर ही लाईम का प्रयोग करने के लिए किसानो को सुझाव दिया जाता है एवं अनुदानित दर पर किसानो के बीच वितरण किया जाता है।

12. सूक्ष्म पोषक तत्वः– फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। तेलहनी फसलों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मुख्य रूप से सल्फर का वितरण किया जाता है क्योंकि सल्फर का प्रयोग तेलहनी फसलों के बीज में तेलीय पदार्थ के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु किया जाता है।

13. पौधा संरक्षण यंत्र वितरण :– विभिन्न प्रकार के कीट एवं व्याधियों द्वारा फसलों को लगभग 15–20 प्रतिशत क्षति होती है। इनके नियंत्रण हेतु पौधा संरक्षण यंत्र के द्वारा फसलों पर कृषि रसायन के छिड़काव करने हेतु कृषकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

14. शक्ति चालित स्प्रेयर/डस्टर वितरणः– शक्ति चालित स्प्रेयर/ डस्टर पर सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपया तथा 1000 रुपया राज्य योजना से अतिरिक्त अनुदान (Top up) यथा कुल 3000 रुपया प्रति यूनिट, दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3000 रुपया प्रति यूनिट दोनों में जो न्यूनतम हो, अनुदान देय होगा।

15. सिंचाई पाईप :– सिंचाई पाईप की आपूर्ति कृषकों को फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सिंचाई पाईप का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि फसलों के विभिन्न अवस्थाओं में ससमय सिंचाई नहीं की जाती है तो उससे फसलों में 40 से 50 प्रतिशत के उत्पादन में कमी होती है। यदि किसानों के द्वारा खुली नाली (Open Channel) के माध्यम से सिंचाई की जाती है तो उससे मिट्टी का क्षरण (Erosion) होता है एवं पानी सिचाई नाले से रिसकर बह जाता है। इसलिए किसानों को सुगमतापूर्वक सिंचाई करने के लिए HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes सिंचाई पाईप किसानों को अनुदानित दर पर सिंचाई करने हेतु दिया जाता है। HDPE Laminated Woven Lay Flat Tubes सिंचाई पाईप पर अनुदान मूल्य का 50% या अधिकतम अनुदान सीमा 20 रुपया/मीटर, दोनों में जो न्यूनतम होगा, अनुदान देय होगा। सिंचाई पाईप के लिये अधिकतम अनुदान सीमा 15,000 रुपया प्रति लाभार्थी/किसान होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सिंचाई पईप का वितरण किया जाता है।

16. कृषक प्रशिक्षण :– उत्पादन तकनीकी हस्तान्तरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के फसल विशेष के वैज्ञानिक के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण समूह के लिए 24000 रुपया व्यय करने के लिए प्रावधान किया गया है। प्रत्येक दो दिवसीय प्रशिक्षण समूह में 30 कृषकों को रखा जायेगा, जिसमें महिला कृषकों एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति कृषकों को भी शामिल किया जायेगा।

17. पदाधिकारी प्रशिक्षण :– पदाधिकारियों को तकनीकी जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर जिला अन्तर्गत बीस (20) पदाधिकारी/ प्रसार कार्यकर्ता को वरीय वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा दो दिनों का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें प्रति प्रशिक्षण 36000 रु० अधिकतम खर्च करने का प्रावधान है। आधुनिक तकनीकी संबंधी जानकारी को संकलित कर प्रशिक्षण सामग्री के रूप में पदाधिकारी को दिया जायेगा। वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को मानदेय भुगतान एवं उन्हें लाने तथा पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी

18. आकस्मिकता एवं पी०एम०ई० (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एक्सपेन्सेस):– उक्त घटक में उपलब्ध राशि से योजना के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन, भाड़े पर वाहन लेना/सेमीनार/ वर्कशाप/ तेलहन मेला के आयोजन पर व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन कर किया जाएगा।

19. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा अनुदेश में परिवर्तन किया जा सकता है।

20. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग सं0–01, उपशीर्ष–0220–राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड–01–2401001080220, पी०एफ०एम०एस० कोड–9143, विषय शीर्ष–0220.33.01 सब्सिडी	146.08	333.94
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग सं0–01, उपशीर्ष–0234, राष्ट्रीय तेलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड– 01–2401007890234, पी०एफ०एम०एस० कोड–9143, विषय शीर्ष–0234.33.01– सब्सिडी	28.16	62.87
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग सं0–01 उपशीर्ष–0256, राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960256, पी०एफ०एम०एस० कोड–9143, विषय शीर्ष–0256. 33.01– सब्सिडी	1.76	3.60
योग	**176.00**	**400.41**